मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय (वल्लभ भवन) भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर, 2008

आदेश

आदेश क्र./एफ--5/16/2000/10-3: राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 8-9-2005 के द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु भारत शासन की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात उपलब्ध कराई जा रही वन भूमि के लिये नेट प्रेजेन्ट वेल्यू वसूल करने के संबंध में आदेश जारी किये गये है। राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 12-12-2005 तथा 19-1-2006 के द्वारा कतिपय गतिविधियों को नेट प्रेजेन्ट वेल्यू के भुगतान को इस शर्त के साथ मुक्त किया गया था कि यदि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इन आदेशों में उल्लेखित गतिविधियों को नेट प्रेजेन्ट वेल्यू से मुक्त नहीं किया गया तो उन आवेदकों द्वारा नेट प्रेजेन्ट वेल्यू की पूर्ण राशि एकमुश्त जमा की जायेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी आदेश दिनांक 28-3-2008 तथा दिनांक 9-5-2008 के परिप्रेक्ष्य में इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 8-9-2005, 12-12-2005 तथा 19-1-2006 को अधिक्रमित करते हुए वनों के ईको वैल्यू श्रेणी (वनों का प्रकार व घनत्व के आधार पर) अनुसार व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य (नेट प्रजेन्ट वैल्यू) की राशि का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है:--

अनु0	वनों की ईको वैल्यू श्रेणी	वनों का घनत्व	नेट प्रजेन्ट वैल्यू प्रति हेक्टेयर (रु. लाख में)
1	I (Tropical Moist Deciduous Forests) ऊष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन	1. सघन वन (0.8 या अधिक) 2. मध्यम घनत्व वन (0.5 से 0.7) 3. खुले वन व रिक्त क्षेत्र (0.4 या कम)	10.43 9.39 7.30
	III (Tropical Dry Deciduous Forests) ऊष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन	1. सघन वन (0.8 या अधिक) 2. मध्यम घनत्व वन (0.5 से 0.7) 3. खुले वन व रिक्त क्षेत्रा (0.4 या कम)	8.87 8.03 6.26
	IV (Tropical Thorn Forests) ऊष्ण कटिबंधीय कटीले वन	1. सघन वन (0.8 या अधिक) 2. मध्यम घनत्व वन (0.5 से 0.7) 3. खुले वन व रिक्त क्षेत्रा (0.4 या कम)	6.26 5.63 4.38
	V (Sub-Tropical Broad leaved Hill Forest) उपोष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन	1. सघन वन (0.8 या अधिक) 2. मध्यम घनत्व वन (0.5 से 0.7) 3. खुले वन व रिक्त क्षेत्रा (0.4 या कम)	9.39 8.45 6.57

टीप:- मुख्यत: राज्य में ईको क्लास के अन्तर्गत ईको क्लास I (Tropical Moist Deciduous Forests) ऊष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, III (Tropical Dry Deciduous Forests) ऊष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, IV (Tropical Trorn Forests) ऊष्ण कटिबंधीय कटीले वन, V (Sub-Tropical Broad leaved Hill Forest) उपोष्ण कटिबंधीय पहाड़ी वन पाए जाते हैं।

2. राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत वन भूमि के उपयोग के लिए नेट प्रजेन्ट वेल्यू की दरें उन क्षेत्रों के लिए लागू नेट प्रजेन्ट वेल्यू की दरों का 10 गुना तथा अभ्यारण्यों के लिये 5 गुना राशि देय होगी। राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य के अंतर्गत गैर वन भूमि के उपयोग के लिए नेट प्रजेन्ट वेल्यू की दरें आसपास के वन क्षेत्रों की दरों के अनुरूप देय होगी।

3. निम्न गतिविधियों को तालिका में दर्शाये अनुसार को नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि से छूट दी गई है–

श्रेणी	दी गई छूट
1. स्कूल 2. अस्पताल 3. बच्चों के खेल का मैदान (अव्यवसायिक) 4. ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक भवन 5. ओवर हेड टैंक 6. ग्रामीण तालाब 7. पीने के पानी की 4" व्यास की भूमिगत पाईप लाईन 8. ग्रामीण क्षेत्रों में 22 के.व्ही. विद्युत वितरण लाईन।	1 हेक्टेयर वन भूमि तक की पूरी छूट बशर्ते : (अ) किसी भी वृक्षों की कटाई न हो। (ब) वैकल्पिक वन भूमि उपलब्ध न हो। (स) योजना अव्यवसायिक हो तथा शासन की प्लान व नान प्लान योजनांतर्गत हो। (द) क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य के बाहर पड़ता हो।
राष्ट्रीय उद्यान/ अभ्यारण्य क्षेत्रो से वैकल्पिक वन भूमि पर ग्रामों का विस्थापन	पूर्ण छूट
वन क्षेत्रो में नदी के तल से बोल्डर्स व सिल्ट का संग्रहण	पूर्ण छूट बशर्ते : (अ) क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य के बाहर हो। (ब) इस क्षेत्र में कोई भी उत्खनन लीज अनुमोदित/स्वीकृत न हो। (स) बोल्डर्स व सिल्ट संग्रहण/विक्रय का कार्य विभागीय रूप से या शासकीय उपकम द्वारा या आर्थिक विकास समिति या संयुक्त वन प्रबंध समिति के द्वारा किया जाना हो। (द) कार्य वन संरक्षण व सुरक्षा के लिये आवश्यक हो। (इ) विक्रय की राशि का उपयोग वन सुरक्षा व संवर्धन के लिये हो।
अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन डालना	पूर्ण छूट बशर्ते : (अ) किसी भी वृक्ष की कटाई न हो। (ब) क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य क्षेत्र के बाहर पड़ता हो।
वर्ष 1980 के पूर्व के अतिकमणों का नियमितीकरण व वनग्राम को राजस्व ग्राम में परिवर्तन करना।	पूर्ण छूट बशर्ते कि ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दि. 18.9.1990 के दिशा निर्देशों के अनुरूप हो।
भूमिगत उत्खनन	एन.पी.व्ही. सम्पूर्ण एरिया का 50 प्रतिशत

12/5/03

निर्देशित किया जाता है कि कार्य आयोजना का अवलोकन कर क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले वन प्रकार का निर्धारण कर एन.पी.व्ही. का विनिश्चय सावधानीपूर्वक करना सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(रतन पुरवार)
सचिव,
म.प्र.शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर, 2008

पृ. क./एफ-5/16/2000/10-3

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग/खनिज साधन विभाग/ऊर्जा विभाग/राजस्व विभाग/वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/जल संसाधन विभाग/नर्मदा घाटी विकास विभाग/ लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश।
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त वन मंडलाधिकारी, मध्यप्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,
म.प्र.शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध कक्ष) मध्य प्रदेश भोपाल

पृ0कमांक/एफ-10/बजट/19/ 2129 भोपाल, दिनांक 16-9-08

प्रतिलिपिः-

1- मुख्य वन संरक्षक जबलपुर क्षेत्रीय मध्य प्रदेश

2- समस्त वन संरक्षक क्षेत्रीय मध्य प्रदेश

3- समस्त वन मंडलाधिकारी क्षेत्रीय मध्य प्रदेश

4- समस्त कक्ष प्रभारी भू-प्रबंध शाखा मध्य प्रइेश भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक(भू-प्रबंध)
मध्य प्रदेश भोपाल

17/9/08

730
15/9/08